E-Newsletter
September

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

LSG

Local Self Government
Rajasthan

Minimum Government, Maximum Governance

सत्यमेव जयते

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Local Self Government Rajasthan

The Department of local self Government, Rajasthan is the controlling Department of all municipalities for all administrative purposes. It also performs monitoring and co-ordination function at the state level for all the 188 municipal bodies of the state.

Functions of Department of Local Self Government Rajasthan

* *Appointment of OICs/Advocate in Court Cases, vetting of reply, opinion on judgment, decision for appeal or no appeal, scrutiny of Bye-Laws and Rules and Amendments in Acts and Rules.*
* *Approval of Budget of ULBs and released of funds regarding Special Grant, General Grant, SFC, TFC, Grant (in Lieu of Octroi) and State/Centrally Sponsored Schemes/Programme.*
* *Disposal of matters related to transfer, establishment, DPCs related to officers and staff of ULBs, DDR offices and Directorate.*
* *Extension and Exclusion of Municipal boundary, Election of Municipal Boards.*
* *Implementation of HRD Plan for elected representatives, and officials of ULBs.*
* *Implementation of Poverty Alleviation and social responsibilities Programmes.*
* *Issuance of Financial, Administrative and Technical Sanctions which are not in the Jurisdiction of the elected board.*
* *Preparation of Annual Plan/District Plan/Action Plan/DPRs related to various GoI/GoR schemes/Programmes.*

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Various Schemes

AMRUT – (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)

Urban Infrastructure Development of 29 Towns > 1.0 lac population.

Total Estimated Project cost Rs 4500 cr (50% GoI, 30% GoR, 20% ULB)

Components to be covered - Water supply, Sewerage network, Septage management, Storm water drainage, Urban Transport, Green spaces and parks.

HRIDAY-Heritage Cities Infrastructure Development & Augmentation

- Ajmer – Pushkar nominated under HRIDAY– 100% grant by GoI.
- City HRIDAY Plan for Rs 48.00 cr. approved by MoUD, GoI.

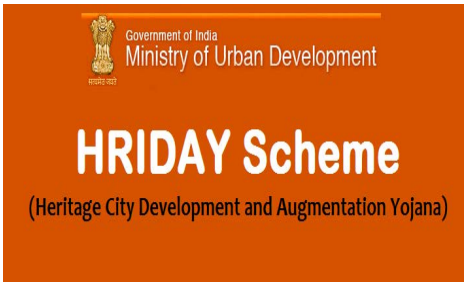

National Urban Livelihood Mission (NULM)

- Focus on Skill Training & Placement and Capacity Building / Self Employment.
- Major components- Shelter for Urban Homeless, Support to Urban Street Vendors.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

स्मार्टराज कॉल सेन्टर

आम जनता की शिकायतों को हल करने का अनूठा प्रयास ....

स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में आमजन के लिए स्मार्ट राज कॉल सेन्टर दिनांक 11.05.2015 माननीय मंत्री महोदय श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन कर प्रारंभ किया गया है। जिसके टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 है जिसमें आईवीआर नं0 2 तत्पश्चात् 1 पर आमजन की कॉल प्राप्त कर उन्हें विभाग के संबंध में चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ नगरीय निकायों व विभाग से संबंधित शिकायतें सम्पर्क पोर्टल पर निरंतर दर्ज की जा रही है। 11 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक 109588 कॉल प्राप्त हुई एवं 8600 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 5894 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

दर्ज शिकायतों को संबंधित निकायों/निदेशालय के अनुभागों को प्रेषित किया जाता है तथा जो शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित है, उन्हें संबंधित विभागों में स्थानांतरित किया जाता है। शिकायतों के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉल सेन्टर के नोडल अधिकारियों को कॉल कर अवगत/निर्देशित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त जवाब को भी निरंतर दर्ज कर दैनिक रिपोर्ट बनाई जाती है।

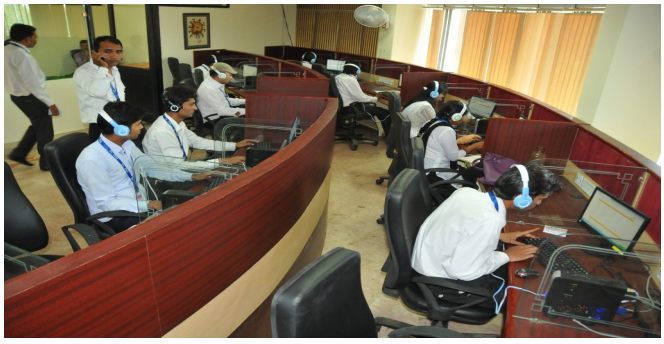

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

स्वच्छ भारत मिशन

खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान ....

स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है जो 02 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक भारत को 'खुला शोच मुक्त भारत' घोषित करना है। स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा LSGD, GoR को नोडल विभाग बनाया गया।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत (शहरी) के 10 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा 'स्वच्छ राजस्थान सप्ताह' मनाया गया जो कि 02 अक्टूबर, 2014 को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा स्वच्छता शपथ लिये जाने के साथ सम्पन्न हुआ।

इसी सप्ताह को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए ''स्वच्छ राजस्थान अभियान'' चलाया गया जो दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन अभियानों के दौरान साफ, सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया और सामुदायिक जागरूकता हेतु प्रभात फेरी, रेली, श्रमदान आदि जैसे कार्य संपादित हुए। तत्पश्चात राज्य की समस्त निकायों द्वारा 08 नवम्बर से 14 नवम्बर तक सफाई अभियान चलाया गया जो बालदिवस पर सम्पन्न हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हेतु 12 फरवरी 2015 को राज्य स्तर, जिला स्तर व शहरी स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य के 187 शहरी निकायों में 9 मार्च से 27 मार्च तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत शहरों में नालों की सफाई, रोड़ की सफाई, पार्को की सफाई, रोड़ लाइटों का रखरखाव, स्कूलों व राजकीय कार्यालयों की सफाई, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान (सर्वे द्वारा) आदि शामिल थे साथ ही शहरी स्तर पर प्रत्येक निकायों द्वारा सामुदायिक जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिनमें वार्ड़ सभाऐं, नुक्कड नाटक, अपील, रेली आदि आयोजित की गई जिससे जन समुदाय को स्वच्छत्ता व सफाई आदि के महत्व का पता चल सके व खुले में शौच का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों का भी ज्ञान दिया गया। अगस्त 2015 को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में सहयोग व सभी नगरीय निकाय से संपर्क स्थापित कर स्वच्छ भारत मिशन कार्य को गति देने हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) का गठन किया गया है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक संभाग की स्वच्छ भारत मिशन पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन सी.एम.ए.आर. द्वारा कराया गया प्रथम चरण (9 April, 16 April, 28 April & 29 April, 2015) द्वितीय चरण में परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) तथा सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान व CSC के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा (26th October to 04th November, 2015) तकनीकी अधिकारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटरर्स को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के प्रत्येक घटक को विस्तार पूर्वक बताया गया और प्रत्येक शहरी निकाय को लक्ष्य बताये गए तथा 2015–16 के और संपूर्ण मिशन अवधि 2019 के बारे में जानकारी दी।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

अमृत मिशन योजना

शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अटल प्रयास...

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 28 शहरों के ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाने के लिए दो दिवसीय ''हैण्ड होल्डिंग'' कार्यशाला (10 व 11 अगस्त) का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में किया गया।

इस कार्यशाला में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि अमृत योजना के तहत बनाये जाने वाले ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' सम्बन्धित शहर के नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाया जाये। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में पूर्व में रही कमियों को अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में नहीं दोहराया जाये। उन्होनें कहा कि शहरों में सीवरेज योजनाओं के प्रारम्भ करने से पूर्व में जारी पेयजल योजनाओं के सशक्तीकरण एवं सेवा स्तर को सुधारते हुए कवरेज (आवृत) क्षेत्र में गेप पूरा किया जाए। उन्होने बताया कि अमृत योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल कवरेज (पेयजल एवं सीवरेज) को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इन क्षेत्रों के गेप को पूरा होने पश्चात् ही अन्य क्षेत्रों में शहरी परिवहन एवं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज को प्रारम्भ किया जाये।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अमृत योजना में शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत योजना में सम्मिलित प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वर्ष में एक उद्यान का विकास किया जाना आवश्यक है। उन्होनें बताया कि अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के तहत एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट कंसलटेन्ट की नियुक्ति की जायेगी जिसका कार्य शहरों का ''सिटी लेवल सर्विस इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाकर तद्नुसार राज्य की वार्षिक योजना तैयार कर अनुमोदन पश्चात् डीपीआर तैयार करना एवं प्राजेक्ट के क्रियान्वयन का सुपरविजन करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री दिनेश कुमार के साथ विशेषज्ञों के दल ने ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट

प्लान'' (पेयजल सीवरेज शहरी परिवहन स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एवं उद्यानों) के बनाये जाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी, मुख्य अभियंता रूफडिको श्री एस.के. गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रूफडिको श्री ललित करोल तथा 28 शहरी निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं अभियन्ता उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन RUIFDCO तथा CMAR के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किये दिशा–निर्देश

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

अभियान का प्रथम चरण नवम्बर 2016 से प्रारम्भ होगा तथा 30 जून, 2017 तक पूर्ण किया जायेगा। इसी प्रकार आगामी वर्षो में 30 जून, 2018 से 30 जून, 2019 तक सभी शहरों में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) एक समयबद्ध अभियान है एवं इसके सफल क्रियान्विति के लिए अभियान को विभिन्न चरणों में सम्पादित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उन्होनें बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण से जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का पुनरोद्धार कर जल संरक्षण की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना जिससे वर्षा के बेकार बहते बहुमुल्य जल को प्राणी मात्र के उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सके। अभियान में नगरीय वासियों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जन सहभागिता से कार्य सम्पादित किये जायेंगे। नगरीय क्षेत्रों में समस्त प्रकार के भवनों निजी, सरकारी आवासीय, संस्थानिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि में वर्षा जल संरक्षण के लिए रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना तथा प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं सिवेज/औद्योगिक अवशेष प्रवाह) के परिशोधन/पुर्नचक्रण/प्रबंधन कर पुनः उपयोग में लेने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

उन्होनें कहा कि राज्य के शहरों में घरेलू उपयोग हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता है और औसत उपलब्धता 74 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्र है। इस अन्तर को कम करते हुए शहर को जल आत्म निर्भर बनाकर पेयजल समस्या का स्थाई समाधान करना। उन्होनें बताया कि अभियान का कार्य क्षेत्र राजकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्थान, कॉर्पोरेट सोशियल रेस्पोन्सिब्लिटी (सीएसआर), जनसहभागिता, स्थानीय जन प्रतिनिधि, नॉन रेजिडेन्ट सिटिजन्स क्लब (NRI Club), रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त/उपलब्ध निधियों से जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य सम्पादित कर उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग करते हुये वार्ड/जोन/कॉलोनी/शहरवार वाटर बजटिंग कर जल का स्थाई समाधान किया जाना। प्रदेश के 190 शहरों में चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता क्रम अनुसार कार्य करवाये जाएंगे।

उन्होनें बताया कि राज्य के शहरों में बढ़ते हुई निर्माण गतिविधियों यथा पक्की सड़कें, पक्के फुटपाथ, भवन, उद्योग, संस्थान आदि के कारण शहर कंक्रीट के जंगल के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं जिसके चलते मानसून के दौरान शहरी क्षेत्रों में परकोलेशन (Percolation) अत्यन्त न्यून और रनऑफ (Run Off) बढ़ता जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में प्राप्त वर्षा जल का अधिकतम भाग व्यर्थ बह जाता है। कभी–कभी कम समय में अधिक वर्षा होने (High Intensity Rainfall) से प्राप्त वर्षा जल के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और शहर के निचले क्षेत्रों (Low Lying Area) में स्थिति और भी बद्तर हो जाती है। शहर के निचले क्षेत्रों

(Low Lying Area) में लम्बे समय तक पानी के भराव व ठहराव के कारण जान–माल का नुकसान भी होता है और कई बार क्षेत्र विशेष स्थिर व प्रवाहहीन जल से प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल का समुचित उपयोग नहीं होता है, जिससे जहां एक और जलस्त्रोतों का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है वहीं दूसरी और वर्षा जल के जमाव से बाढ़ जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त परिस्थितियों से निपटने के लिए नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) प्रारम्भ किया जा रहा है।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जल स्वावलम्बन अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं भूगर्भ और सतही जल के इष्टतम एवं पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंध के उद्देश्य से विभिन्न स्तरीय समितियों का गठन किया गया। जिनमें मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री के साथ–साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के मंत्री के साथ–साथ विभिन्न विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव तथा विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं दो विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग उक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य स्तरीय समिति मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगी तथा नीति निर्धारित करते हुए कार्यो की समीक्षा करेगी। दूसरी समिति राज्य निर्देश समिति के रूप में अध्यक्ष राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसके सदस्य सचिव निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग होंगे। यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति तैयार करेगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स मुख्य रूप से मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करेगी। जिले के प्रभारी मंत्री मिशन की नियमित समीक्षा करेंगे। इस संबंध मे उनकी अध्यक्षता में जिला प्रभारी स्तर समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) की सफल क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों के कार्यो की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीति का गठन किया गया है। नगर स्तरीय कार्या की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर (संभाग स्तर के शहरों के लिए) समिति का गठन किया गया है।

अमृत योजना के तहत में विभिन्न शहरों में सीवरेज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एवं पार्क परियोजना के लिए 312 करोड़ रूपये के कार्यो की स्वीकृती

जोधपुर की 77 करोड़ की सीवरेज परियोजना के कार्य की मंजूरी

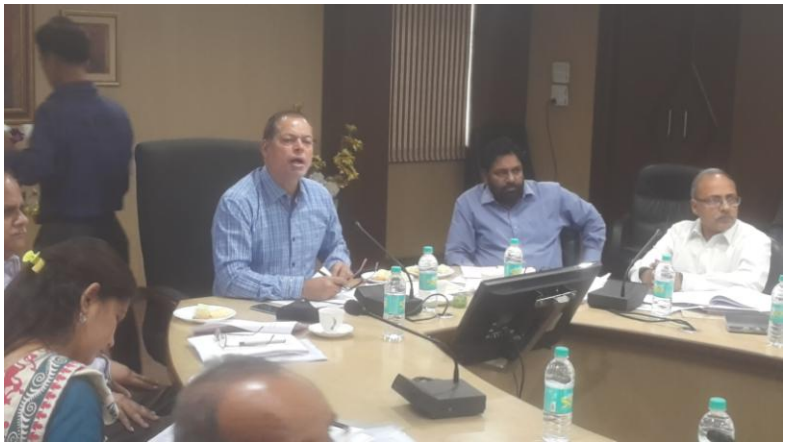

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) की स्टेट लेवल टेक्नीकल कमेटी की बैठक में 2 सीवरेज परियोजनाओं, 2 वाटर सप्लाई परियोजनाओं, 1 ड्रेनेज परियोजना एवं 6 उद्यान परियोजनाओं (डीपीआर) राशि 312 करोड़ रूपये की (कुल 11 परियोजनाओं) की स्वीकृती प्रदान की गई।

बैठक में जोधपुर की 77 करोड़ की सीवरेज परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने की मंजूरी दी गई।

बैठक में राशि रूपये 312 करोड़ के 11 परियोजनाओं की डीपीआर को स्वीकृती प्रदान की गई। जिसमें वाटर सप्लाई की 2 परियोजना सवाई माधोपुर में राशि रूपये 47.32 करोड़, झालावाड़ में राशि रूपये 75.23 करोड़, सीवरेज की 2 परियोजना अजमेर में राशि रूपये 68.21 करोड़, किश्नगढ़ में राशि रूपये 100.29 करोड़ एवं ड्रेनेज की 1 परियोजना चुरू में (गाजसर का सुदृढ़ीकरण) राशि रूपये 6 करोड़ तथा 6 स्थानों पर उद्यान की परियोजना स्वीकृत की गई जिनमें भरतपुर में राशि रूपये 2.50 करोड़, बारां में में राशि रूपये 2.50 करोड़, बून्दी में राशि रूपये 2.50 करोड़, झुझुंनू में राशि रूपये 2.50 करोड़, भीलवाड़ा में राशि रूपये 2.50 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत की गई एवं जोधपुर की राशि रूपये 77 करोड़ के सीवरेज कार्य को प्रारम्भ करने की स्वीकृती प्रदान की गई।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2016 की अवधि में ''विशेष स्वच्छ नगर अभियान'' प्रारम्भ होगा

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2016 की अवधि में ''विशेष स्वच्छ नगर अभियान'' प्रारम्भ किया जायेगा।

अभियान के दौरान प्रदेश को कूडा कचरा व पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री. ओ.पी. मीणा संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टरों विभिन्न विभागों के सचिव, आयुक्तगण को निर्देश दिये है।

प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छ नगर अभियान चलाया जायेगा। अभियान से पूर्व 15 सितम्बर, 2016 से आमजन में जनजागृति एवं प्रचार–प्रसार के लिये स्वच्छता संबंधित होर्डिंग्स लगाये जायेंगे तथा एफ.एम. रेडियों आकाशवाणी के सभी केन्द्रों पर स्वच्छता सम्बन्धित जिंगल प्रसारित करवाये जायेगे व नुक्कड नाटकों, गोष्ठियों का आयोजन स्थानीय विद्यालयों व चौपालो मे नगरीय निकाय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा तथा क्षेत्रीय विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रभातः फेरीयों का आयोजन भी किया जायेगा।

उन्होनें ने बताया कि विशेष स्वच्छ नगर अभियान से समस्त शिक्षण संस्थाओं (राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय, निजी विद्यालय/ महाविद्यालय), राजकीय कार्यालयों, सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों को जोड़ते हुये भागीदारी बढ़ाई जायेगी तथा अभियान अवधि के दौरान की गई कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जायेगा। अभियान में सभी नगरीय क्षेत्रों में शहर के Entry Points व मुख्य बाजारों में पड़े हुये कचरे–मलबे के ढेरों को हटाया जायेगा एवं समस्त सरकारी कार्यालयों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलो, बस स्टेण्डो, स्कूलों, कॉलेजो, अस्पताल इत्यादि के परिसरों में सफाई की जायेगी। उन्होनें कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं प्लास्टिक कैरी बैग्स की रोकथाम/जब्त करने की कार्यवाही भी प्रभावी रूप से की जायेगी तथा राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बिना स्वीकृति के लगे हुये होर्डिंग्स/विज्ञापन हटाये जावें तथा दीवारो पर लिखे हुये विज्ञापन इत्यादि की सफाई करावायी जायेगी व आवारा पशुओं को पकडने का कार्य नगर निकायों के स्तर पर किया जायेगा। इस दौरान सब्जीमण्डी, अनाज भण्डारण केन्द्रों तथा फलमण्डी क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर साफ–सफाई की जायेगी तथा अभियान में नगर सुधार न्यास, शहरी विकास प्राधिकरण व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विशेष सहयोग दिया जायेगा एवं अपने–अपने क्षेत्रों में पड़े मलवे को हटाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 एवं विशेष स्वच्छ नगर अभियान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयाजित

''जल है तो कल है'' तथा ''जल का विकल्प मात्र जल ही है''

कार्यो के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यो की सफलता को निर्धारित करती है। जब तक किसी कार्य के लिए प्रतिबद्धता एवं प्रेरणा नही होगी तब तक कार्य सम्पादित नहीं हो सकता।

''जल है तो कल है'' तथा ''जल का विकल्प मात्र जल ही है'' क्योंकि जीवन के लिये हर आवश्यक वस्तु का विकल्प हो सकता है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है।

यह उद्गार स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (MJSA Urban), स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 एवं विशेष स्वच्छ नगर अभियान विषय पर इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग मे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर व्यक्त किये। कार्यशाला में राज्य के अमृत योजना में चयनित 29 शहर, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में चयनित राज्य की 66 नगरीय निकाय, दिसम्बर 2016 तक खुले में शौच मुक्त घोषित की जाने वाली 33 नगरीय निकायों के महापौर, सभापति एवं आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के क्षमता संवर्द्धन एवं विकास योजनाओं की प्रगति एवं सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया।

कार्यशाला के शुभारंभ पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि कार्यो के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यो की सफलता को निर्धारित करती है। जब तक किसी कार्य के लिए प्रतिबद्धता एवं प्रेरणा नही होगी तब तक कार्य सम्पादित नहीं हो सकता। उन्होनें कहा कि कार्यशालाओं का आयोजन तभी सार्थक होगा जबकि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इनसे कोई प्रेरणा लें एवं अपनी प्रतिबद्धता निर्धारित करें। उन्होनें कहा कि ''जल है तो कल है'' तथा ''जल का विकल्प मात्र जल ही है'' क्योंकि जीवन के लिये हर आवश्यक वस्तु का विकल्प हो सकता है, लेकिन जल का कोई विकल्प नहीं है। आज प्रदेश का 60 प्रतिशत हिस्सा जल की दृष्टि से डार्क जोन में है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि जल का बचाव कैसे किया जाये देश की आजादी से अब तक अनेकों एनिकट, तालाब एवं बांध सुखे पड़े है। भूजल भी रिचार्ज नहीं हो रहा है। आम इंसान के जीवन में जल एवं पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी भूमिका के चलते हुए जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है। वे सब नदियों के आस–पास विकसित हुई है। चाहे वह मोहन जोदड़ो हो हड़प्पा हो या सिन्धु घाटी की सभ्यता। हमें जल की समस्या का निराकरण सामाजिक स्तर पर

करना होगा। हमारे धर्मो में बावड़ी, तालाब के निर्माण को पुण्य का कार्य बताया है तथा इनके नजदीक मंदिरों का निर्माण इसलिए किया गया है कि ये पवित्र एवं स्वच्छ रहे तथा इनका निरंतर संरक्षण हो सकें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भूजल स्तर को ऊॅचा उठाने के लिए निरंतर ईमानदारी से कार्य करें। इस कार्य को किसी कानून की परिधी में नहीं बांधा जा सकता है।

उन्होनें स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो को लेकर कहा कि जब डूंगरपुर खुले में शौच मुक्त घोषित हो सकता है, तो जयपुर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि सभी को एक साल के लिए यह कमिटमेंट करना होगा कि वे अपने–अपने क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनायेंगे तब ही यह कार्य संभव है। सभी को अपने–अपने कार्यो का मुल्यांकन करना होगा। उन्होनें बताया कि दिसम्बर माह में प्रदेश के 33 शहरों को खुले में शौच मुक्त किया जायेगा। इस कार्य के लिए सूचीबद्ध शहरों की नगरीय निकायों को यह कार्य सम्पादित करना है।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने इस अवसर पर बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) 16 नवम्बर, 2016 से प्रारम्भ होगा तथा 30 जून, 2017 तक पूर्ण किया जायेगा। इसी प्रकार आगामी वर्षो में 30 जून, 2018 से 30 जून, 2019 तक सभी शहरों में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) एक समयबद्ध अभियान है एवं इसके सफल क्रियान्विति के लिए अभियान को विभिन्न चरणों में सम्पादित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उन्होनें बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण से जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का पुनरोद्धार कर जल संरक्षण की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना जिससे वर्षा के बेकार बहते बहुमुल्य जल को प्राणी मात्र के उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सके। अभियान में नगरवासियों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जन सहभागिता से कार्य सम्पादित किये जायेंगे। नगरीय क्षेत्रों में समस्त प्रकार के भवनों निजी, सरकारी आवासीय, संस्थानिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि में वर्षा जल संरक्षण के लिए रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना तथा प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं सिवेज/औद्योगिक अवशेष प्रवाह) के परिशोधन/पुर्नचक्रण/प्रबंधन कर पुनः उपयोग में लेने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने कार्यशाला में बताया कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छ नगर अभियान चलाया जायेगा। अभियान से पूर्व 15 सितम्बर, 2016 से आमजन में जनजागृति एवं प्रचार–प्रसार के लिये स्वच्छता संबंधित होर्डिंग्स लगाये जायेंगे तथा एफ.एम. रेडियों आकाशवाणी के सभी केन्द्रों पर स्वच्छता सम्बन्धित जिंगल प्रसारित करवाये जायेगे व नुक्कड नाटकों, गोष्ठियों का आयोजन स्थानीय विद्यालयों व चौपालो मे नगरीय

निकाय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा। अभियान में सभी नगरीय क्षेत्रों में शहर के Entry Points व मुख्य बाजारों में पड़े हुये कचरे–मलबे के ढेरों को हटाया जायेगा एवं समस्त सरकारी कार्यालयों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलो, बस स्टेण्डो, स्कूलों, कॉलेजो, अस्पताल इत्यादि के परिसरों में सफाई की जायेगी। उन्होनें कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं प्लास्टिक कैरी बैग्स की रोकथाम/जब्त करने की कार्यवाही भी प्रभावी रूप से की जायेगी तथा राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बिना स्वीकृति के लगे हुये होर्डिंग्स/विज्ञापन हटाये जावें तथा दीवारो पर लिखे हुये विज्ञापन इत्यादि की सफाई करावायी जायेगी

प्रदेश के अमृत योजना में चयनित शहरों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए 20.80 करोड़ प्रोत्साहन अनुदान राशि स्वीकृत

प्रदेश के अमृत योजना में चयनित शहरों द्वारा योजना में किये गये बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राशि रूपये 20.80 करोड़ प्रोत्साहन अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है।

यह जानकरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं अमृत मिशन निदेशक श्री नीरज मंडलोई द्वारा दी गई है। उन्होंने इस संबंध में पत्र लिख कर जानकारी दी है कि प्रदेश के अमृत योजना में चयनित शहरों द्वारा योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन किया है।

उन्होनें अपने पत्र में यह भी बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर INDO-SAN (India Sanitation Conference) कार्यशाला का आयोजन 30 सितम्बर, 2016 विज्ञान भवन, दिल्ली में किया जायेगा। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। कार्यशाला में प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत को भी आमंत्रित किया गया है।

एनर्जी सेविंग परियोजना (एल.ई.डी. लाईट) में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर

एनर्जी सेविंग परियोजना (एल.ई.डी. लाईट) में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है तथा द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश है।

प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि संपूर्ण देश में एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत लगायी जा रही एल.ई.डी. लाईटें लगाने में राजस्थान देश में अव्वल है। उन्होनें कहा कि प्रदेश की 190 नगरीय निकायों में मार्च 2017 तक 1500 करोड़ रूपये की लागत Energy Efficiency Services Limited (EESL) के माध्यम से प्रदेश की सभी स्ट्रीट लाईटें (ट्यूबलाईट एवं सोडियम) को एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट में परिवर्तित किया जाना है। उक्त राशि Energy Efficiency Services Limited (EESL) द्वारा वहन की जायेगी एवं आगामी 7 वर्षो तक एल.ई.डी. लाईटों के रख–रखाव का कार्य EESL द्वारा किया जायेगा।

उन्होनें ने बताया कि प्रदेश में अब तक प्रदेश के 32 शहरों अजमेर, पाली, माउण्ट आबू, झाालावाड़, पुष्कर, रतननगर, रतनगढ़, धौलपुर, उदयपुर, नागौर, विद्याविहार, पिलानी, नाथद्वारा, आमेट, राजमसमंद, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, बिसाऊ, डीडवाना, जैसलमेर, सांगोद, कैथून, नीमकाथाना, निवाई, जोबनेर, भिवाड़ी, पिड़ावा, निम्बाहेड़ा, किशनगढ़, मकराना एवं भीलवाड़ा में एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 46 शहरों में कार्य अंतिम चरणों में है। इस प्रकार अब तक प्रदेश की 78 नगरीय निकायों में कुल 4 लाख 82 हजार 727 एल.ई.डी. लाईटें लगायी जा चुकी है। शेष निकायों में से 13 शहरों में सर्वे का कार्य जारी है व 99 शहरों में एल.ई.डी. लगाये जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि प्रदेश में एल.ई.डी. लाईटों के साथ–साथ विभिन्न नगरीय निकायों में फेज वायर, अर्थिंग वायर, स्विच बोर्ड, टाईमर एवं केबलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। उक्त कार्य के निर्धारित समय पर सम्पादन के लिए नगर निकायों में एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होनें बताया कि एल.ई.डी. लाईट परियोजना से संपूर्ण प्रदेश में 50 से 60 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होगी। उक्त कार्य भारत सरकार के उपक्रम Energy Efficiency Services Limited (EESL) के माध्यम से करवाया जा रहा है। उन्होने कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व एनर्जी सेविंग एवं पर्यावरण सुधार के लिए कार्य कर रहा है। हमारे देश में भी इस ओर तेजी से कार्य हो रहा है एवं संपूर्ण देश में राजस्थान ही एक पहला प्रदेश है। जहाँ पर एक साथ सभी नगरीय निकायों में LED लाईटें लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

उन्होने बताया कि उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य एनर्जी सेविंग है। परियोजना लागू होने से सभी शहरों में विद्युत बचत के साथ–साथ सड़को पर प्रकाश की मात्रा में वृद्धि हुई है। ऊर्जा बचत एवं प्रकाश की मात्रा की जांच के लिए राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स इंस्ट्रमेंटेशन लिमिटेड (REIL) को पृथक से तृतीय पार्टी इंडिपेंटेड ऐजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परियोजना में एल.ई.डी. लाईटें लगाने के पश्चात् द्वितीय चरण में सीसीएमएस पैनल लगाये जाने है। जिससे सभी एल.ई.डी. लाईटें स्वतः चालू एवं बन्द किय जा सकता है एवं प्रतिदिन ऊर्जा बचत एवं बन्द लाईटों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। पूरे क्षेत्र की सभी एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट्स एक ही स्थान से Centrly Control Monitoring System के माध्यम से रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन द्वारा चालू–बन्द की जा सकती है। गत माह 14 अगस्त, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इस प्रणाली का उद्घाटन अजमेर शहर में किया गया है।

इस परियोजना से प्रदेश की सभी निकायों की ट्यूबलाईट एवं सोडियम लाईटों के स्थान पर नई एल.ई.डी. लाईटें लगाई जा रही है जिससे पर्यावरण सुधार के साथ–साथ प्रकाश की मात्रा में वृद्धि हुई है एवं ऊर्जा

बचत से विद्युत उपभोग खर्च में भारी कमी आई है। जिससे नगरीय निकायों के आर्थिक ढ़ाचे को संबल मिला है।

प्रदेश में एनर्जी सेविंग परियोजना (एल.ई.डी. लाईट) मार्च 2017 में होगी पूर्ण

प्रदेश में एनर्जी सेविंग परियोजना (एल.ई.डी. लाईट) मार्च, 2017 में पूर्ण हो जायेगी। सभी नगरीय निकाय फेज वायर लगवाने का कार्य विद्युत वितरण निगम/स्थानीय वेंडर के माध्यम से करवा सकेंगे।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव डॉ0 मंनजीत सिंह ने एनर्जी सेविंग परियोजना (एल.ई.डी. लाईट) की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि प्रदेश की जिन नगरीय निकायों में फेज वायर नही लगा है या कुछ क्षेत्रों में लगा है, ऐसी नगरीय निकायो में फेज वायर डालने का कार्य विद्युत वितरण निगम/ स्थानीय वेंडर के माध्यम से नियमानुसार लगाने का कार्य करवा सकती है। फेज वायर लगाने पर आने वाले व्यय की राशि संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन खम्भों पर फेज वायर नहीं डाला गया है, वहाँ पर एल.ई.डी. लाईटे नहीं लगायी जायेगी। उन्होंने ईईएसएल को निर्देश दिये कि वे एक नगरीय निकाय में एक ही वेंडर से एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य करवाये। जिससे उनकी जिम्मेदारी तय हो सके।

बैठक में डॉ. मनजीत सिंह ने ईईएसएल को यह निर्देश भी दिये कि ऑपरेशन एवं मेंटिनेंस के कार्य में पूर्ण सर्तकता बरती जाये तथा जिन नगरीय निकायों में एल.ई.डी. लाईटो से संबंधित शिकायते प्राप्त हो रही है, उनका अभियान चलाकर तुरंत निस्तारण किया जाये। ईईएसएल के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ कुमार ने बैठक में बताया कि उनके द्वारा ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के कार्य में पूर्ण सर्तकता के साथ कार्य किया जा रहा है तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय ऑपरेशन एवं मेंटीनेन्स का कार्य करने वाले वेंडरो को इस कार्य में लगाया जा रहा है। जिससे वे स्थानीय समस्याओं का शीध्रता से निस्तारण कर रहे है।

ईईएसल के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ कुमार ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अब तक 32 शहरो अजमेर, पाली, माउण्ट आबू, झालावाड़, पुष्कर, रतननगर, रतनगढ़, धौलपुर, उदयपुर, नागौर, विद्याविहार, पिलानी, नाथद्वारा, आमेट, राजसमंद, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, बिसाऊ, डीडवाना, जैसलमेर, सांगोद, कैथून, नीमकाथाना, निवाई, जोबनेर, भिवाड़ी, पिड़ावा, निम्बाहेडा, किशनगढ़, मकराना एवं भीलवाड़ा में एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा 46 शहरों में कार्य अंतिम चरणो में है। इस प्रकार अब तक प्रदेश की 78 नगरीय निकायों में कुल 4 लाख 82 हजार 727 एल.ई.डी. लाईटे लगायी जा चुकी है। शेष निकायो में से 13 निकायो में सर्वे का कार्य जारी है व 99 शहरो में एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने के लिऐ निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है।

प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि जिन–जिन नगरीय निकायो में एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहाँ पर स्थित विद्युत वितरण निगम के मीटर का अध्ययन करवाया जाये कि अब तक एल.ई.डी. लाईट लगने से कितनी ऊर्जा एवं राजस्व में बचत हुई है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ट्यूबलाईट एवं सोडियम लाईट के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट

लगवाने के लिए अच्छी आधारित संरचना (फेज वायर, अर्थिंग वायर स्विच बोर्ड, टाईमर एवं केबलिंग का कार्य) ईईएसएल को उपलब्ध कराये। जिससे एल.ई.डी. लाईटे लगाने का कार्य निर्धारित समय में पूरा हो सके। उन्होंने ईईएसएल के अधिकारियों से कहा कि Centrally control monitoring system (CCMS) का कार्य सभी नगरीय निकायों में शीध्रता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जावे।

बैठक में जयपुर शहर में ईईएसएल के माध्यम से एल.ई.डी. लाईटे लगाये जाने पर विचार विमर्श किया गया। प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने ईईएसएल को निर्देश दिये कि वे जयपुर शहर में कितने विद्युत पोईन्ट है एवं कहाँ कहाँ फेज वायर लगा है, इसका सर्वे करवाये। इस पर ईईएसएल के अधिकारियों ने बताया कि वे आगामी एक पखवाड़े में उक्त कार्य को सम्पादित कर देंगे। इस दौरान आयुक्त नगर निगम श्री हेमन्त गैरा ने बताया कि उन्हें दीपावली से पूर्व शहर में लाईटे लगवानी है। इस पर प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि शहर के जिन क्षेत्रों में फेज वायर का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन क्षेत्रों में स्थित पोईन्टस की सूची ईईएसएल को दे दी जाये, जिससे वे निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कर सके। बैठक में अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) नगर निगम जयपुर श्री महेश शर्मा, ने बताया कि शहर के 3 जोनों में फेज वायर डाले जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन तीनो जोनों में लगभग 10 हजार पॉईन्टस की सूची एल.ई.डी. लाईट लगाने के लिए आगामी एक सप्ताह में ईईएसएल को सौंप दी जायेगी।

प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में 02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2016 की अवधि में ''विशेष स्वच्छ नगर अभियान'' होगा प्रारम्भ

स्वच्छता को व्यवहार में लाये इसे एक आदत बनाये। इस आम धारणा को दूर करें कि स्वच्छता अभियान के दौरान ही होगी। स्वच्छता रखना सभी नागरिको का दायित्व है। इसे सरकारी प्रयासों न जोड़े अभियान के दौरान स्वच्छता को गति प्रदान की जाती है।

02 अक्टूबर को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय में स्वच्छ नगर अभियान के तहत गोष्ठियों बैठकों के आयोजन के साथ कार्यालयो में स्वच्छता का कार्य भी किया जायेगा।

विडियो कांफ्रेसिंग में मुख्य सचिव श्री ओ.पी. मीणा ने निर्देश दिये कि 02 अक्टूबर से जारी होने वाले स्वच्छ नगर अभियान के दौरान सभी नगरीय निकायों में प्रमुख स्थानों के साथ–साथ हॉस्पिटल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, पर्यटक स्थलों शहर के एन्ट्री पॉईन्ट्स आदि की सफाई की जाये एवं इन्हे सफाई का मॉडल बनाये। उन्होनें कहा कि इस दौरान सामुदायिक केन्द्रो, सामुदायिक सफाई केन्द्रो, सार्वजनिक शौचालय/मुत्रालयों की सफाई की जाये एवं इनकी निरंतन मॉनिटरिंग की जाये। उन्होनें बताया कि प्रायः यह देखा जाता है कि सभी नगरीय निकायों में प्रातः 10–11 बजे तक सफाई चलती रहती है। इस दौरान नगरीय निकायों के मुख्य मार्गो एवं सड़को पर आवागमन प्रारम्भ हो चुका होता है तथा भीड़ हो जाती है। जिससे स्वच्छता कार्य में अवरोध पैदा होता है। स्वायत्त शासन विभाग एवं सभी नगरीय निकायों को यह तय करना होगा कि प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में सफाई कार्य निर्वाध रूप से सम्पादित हो सके। उन्होनें कहा कि आम धारण यह है कि अभियान के दौरान ही सफाई का कार्य होगा। आम नागरिकों की इस धारणा को आवश्यक रूप से दूर किया जाये। स्वच्छता रखना सभी नागरिको का दायित्व है। इसे सरकारी प्रयासों न जोड़े अभियान के दौरान स्वच्छता को गति प्रदान की जाती है। उन्होनें बताया कि मध्यप्रदेश के भोपाल सहित कुछ शहरों में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रभावी रोकथाम लगायी गयी है एवं इस कार्य में नागरिकों के साथ–साथ स्वयं सेवी संस्थाओं को जोड़ा गया है। उन्होनें कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग्स के उत्पादन विपणन उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगी हुई है। हमें यह देखना होगा कि जब प्रदेश में इनका उत्पादन नहीं हो रहा तो यह कहॉ से आ रहे है। और यदि उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन करने वाली ईकाई के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करनी होगी। उन्होनें निर्देश दिये कि 02 अक्टूबर को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे एवं कार्यालयों में स्वच्छ नगर अभियान के तहत गोष्ठियों बैठकों के आयोजन के साथ कार्यालयो में स्वच्छता का कार्य भी किया जायेगा।

प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने निर्देश दिये कि 02 अक्टूबर को सभी नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छ नगर अभियान के तहत स्वच्छता के साथ–साथ आमजन

जनजागृति के प्रभात फेरियों गोष्ठियों का आयोजन क्षैत्रीय जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता/उपस्थिति में किया जाये। उन्होनें बताया कि सम्पूर्ण प्रदेश में यह अभियान 28 अक्टूबर तक चलेगा। परन्तु जयपुर में अभियान अवधि 15 नवम्बर तक निर्धारित की गई है। उन्होनें जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि अभियान से सभी जनप्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों, कॉलेज, स्कूल के विद्यार्थीयों, एन.सी.सी. स्काउट्स केडिट्सो, धार्मिक सामाजिक, वाणिज्यिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, मौहल्ला विकास समितियों नागरिक संगठनों आदि को आवश्यक रूप से जोड़ा जाये एवं इन्हें आवश्यक जिम्मेदारिया दी जाये। इस दौरान छात्र–छात्राओं के मध्य स्वच्छता के लिये प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए गोष्ठियों प्रभात फेरियों, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाये।

विडियों कांफ्रेसिंग के दौरान सभी जिला कलेक्टर्स ने अपने–अपने जिलो में स्थित नगरीय निकायों में अभियान को लेकर किये जा रहे विभिन्न कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। सभी ने बताया कि उनके यहाँ स्वच्छ नगर अभियान के दौरान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार प्लास्टिक बैग्स पर प्रभावी रोकथाम के लिए दलों का गठन कर जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। निदेशक स्थानीय निकाय विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने भी सभी नगरीय निकायो को निर्देश दिये कि वे स्वच्छ नगर अभियान के दौरान स्थानीय सामाजिक एवं धार्मिक संगठनो के प्रभावी प्रतिनिधियों जिनकी समाज में पैठ हो का सहयोग भी लिया जाये, जिससे अभियान की सफलता सुनिश्चित हो सके।

हिंगोनिया पशु पुनर्वास केन्द्र के बेहतर रख–रखाव के लिए हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) से एम.ओ.यू

हिंगोनिया पशु पुनर्वास केन्द्र के बेहतर रख–रखाव के लिए बुधवार को सांयकाल स्वायत्त शासन भवन में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री युनूस खान की उपस्थित में नगर निगम जयपुर की ओर से माहपौर श्री निर्मल नाहटा, आयुक्त श्री हेमन्त कुमार गेरा तथा हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) के अध्यक्ष श्री गोविन्द दास (रधुनाथ पंवार) द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये।

हिंगोनिया गौ पुर्नवास केन्द्र के बेहतर रखरखाव के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) के साथ किया गया एम.ओ.यू. 01 अक्टूबर 2016 से लागू होगा। इस एम.ओ.यू. के प्रथम छः माह के पश्चात् इस एम.ओ.यू. की समीक्षा की जायेगी तथा व्यवस्थाओं में सुधार पाये जाने पर आगामी 19 साल के लिए एम.ओ.यू. की अवधि बढ़ाई जायेगी। प्रथम छः माह में नगर निगम जयपुर एवं हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया जायेगा। जिसमें राज्य सरकार की ओर से नगर निगम जयपुर के अतिरिक्त आयुक्त एवं उपनिदेशक पशुपालन विभाग सदस्य होगें। हिंगोनिया गौर पुर्नवास केन्द्र की प्रत्येक तीन माह में हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा संयुक्त रूप से विशेषज्ञों के माध्यम से मुल्यांकन करवाया जायेगा। एम.ओ.यू. मुख्य रूप से जिन बिन्दुओं का उल्लेख है उनमें वर्तमान में हिंगोनिया पशु पुनर्वास केन्द्र में जारी हॉस्पिटल/पॉली क्लिनीक पशुपालन विभाग की ओर से आगे भी संचालित रहेगा, साथ ही नगर निगम जयपुर द्वारा गाय पकड़ने व छोड़ने की प्रक्रिया यथावत रहेगी।

एम.ओ.यू. में बताया गया है कि हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा गायों की देख–रेख व रखरखाव का कार्य किया जायेगा। इस कार्य के लिए नगर निगम की और से हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) को प्रतिदिन बड़े पशु के 70 रूपये एवं छोटे पशु के 35 रूपये आपदा प्रबंधन की दिशा–निर्देश के अनुसार देय होगा। हिंगोनिया पशु पुर्नवास केन्द्र में हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा गायों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हरा चारा उगाया जायेगा तथा उन्ही के द्वारा पुनर्वास केन्द्र में बायो गैस संयंत्र भी लगाया जायेगा एवं चारा, वाहनों एवं पुर्नवास केन्द्र में कार्य करने वाली व्यक्तियों (लेबर) की व्यवस्था भी की जायेगी।

हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा हिंगोनिया गौ पुर्नवास केन्द्र में मृत गायों के निस्तारण के लिए कारकस प्लान्ट भी लगाया जायेगा।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) एक सेवा भावी संस्थान है हमें विश्वास है कि इसके द्वारा गायों के रखरखाव की बेहतर व्यवस्थाएं की जायेंगी। उन्होनें ने बताया कि पूर्व सरकार के समय हिंगोनिया गौ पुर्नवास केन्द्र में गायों की मृत्यु दर

लगभग 22 प्रतिशत थी। जिससे नगर निगम जयपुर द्वारा बेहतर प्रयासों के माध्यम से अत्यधिक कम किया गया।

नगर निगम जयपुर के महापौर श्री निर्मल नाहटा ने इस अवसर पर कहा कि नगर निगम जयपुर एवं हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) द्वारा गौशाला पुर्नवास केन्द्र की बेहतरी के लिए यह एम.ओ.यू. किया गया है। उन्होनें बताया कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ यह एम.ओ.यू. किया गया है एवं इसके बेहतर परिणाम आयेंगे। उन्होने बताया कि एम.ओ.यू. में गौ पुर्नवास केन्द्र की भूमि का स्वामित्व नगर निगम जयपुर का ही रहेगा तथा समय–समय पर गौ पुर्नवास केन्द्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जायेगी।

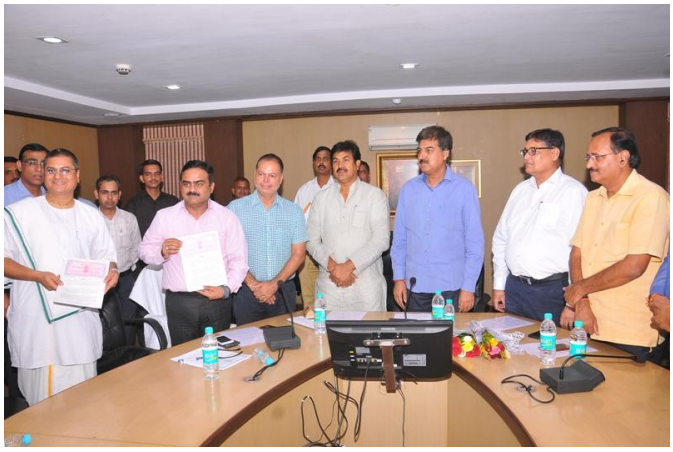

हरे कृष्णा मूवमेंट (अक्षय पात्र) के अध्यक्ष श्री गोविन्द दास द्वारा बताया गया कि पूर्ण सेवा भाव के साथ गायों की सेवा की जायेगी। वर्तमान में उनके पास 100 से अधिक मिशनरी एवं हजारों कार्यकर्ता है। जो कि गौ सेवा पुर्नवास केन्द्र में आकर गायों की सेवा करेंगे। उन्होनें बताया कि गौ पुर्नवास केन्द्र के 23 बाड़ों को जयपुर शहर के विभिन्न समाजों से जोड़ा जायेगा एवं उन्हें इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी जायेगी। उन्होने बताया कि आने वाले समय में गौ पुर्नवास केन्द्र एक बेहतर रमणीक स्थल के रूप में विकसित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि गौ पुर्नवास केन्द्र में नगर निगम जयपुर द्वारा जारी पूर्व योजनाओं को बंद नहीं किया जायेगा।

प्रदेश की 179 नगरीय निकायों में गौरव पथ के निर्माण पर 446.37 करोड़ रूपये स्वीकृत

11 नगरीय निकाय में गौरव पथ का निर्माण स्वयं के स्त्रोतों से

प्रदेश की 179 नगरीय निकायों में गौरव पथ के निर्माण पर 446.37 करोड़ रूपये व्यय होंगे यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कारवाया जायेगा तथा शेष 11 नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगरीय निकाय स्वयं के राजस्व स्त्रोत से गौरव पथ का निर्माण होगा।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश कि सभी नगरीय निकायो में गौरव पथ विकसित किये जा रहे है। प्रदेश की 179 नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण पर राशि रूपये 446.37 करोड़ का व्यय आने का अनुमान है। यह कार्य राजस्थान ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड (RTIDF) से करवाया जायेगा। इस कार्य के लिए वर्ष 2016–17 में राशि रूपयें 89.27 करोड़ व्यय करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रूपये 357.10 करोड़ दिये जाने की सैद्धान्तिक सहमति 15 सितम्बर, 2016 को RTIDF FMC की 8वीं बैठक में दी गयी है। जिसकी अनुपालना में 179 नगरीय निकायों में गौरव पथ का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जायेगा।

गौरव पथ निर्माण के लिए प्रदेश की 179 नगरीय निकायों में प्रत्येक के लिए 250 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिनमें नोखा, डूंगरगढ, देशनोक, नापासर, चूरु, रतनगढ, सुजानगढ, सरदारशहर, राजगढ, छापर, बीदासर, रतननगर, राजलदेसर, तारानगर, रायसिँहनगर, अनूपगढ, सादुलशहर, पदमपुर, केसरीसिँहपुर, श्रीविजयनगर, श्रीकरणपुर, सूरतगढ, गजसिँहपुर, हनुमानगढ, नोहर, संगरिया, भादरा, पीलीबंगा, रावतसर, बांरा, अन्ता, छबड़ा, मांगरोल, बून्दी, लाखेरी, केशवरायपाटन, कापरेन, नैनवा, इन्द्रगढ, झालावाड, झालरापाटन, भवानीमण्डी, पिड़ावा, अकलेरा, रामगंजमण्डी, सांगोद, कैथून, ईटावा, बयाना, डीग, नदबई, कॉमा, वैर, कुम्हेर, भुसावर, नगर, रूपबास, धौलपुर, बाडी, राजाखेड़ा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, हिण्डौन, टोडाभीम, फतेहनगर, भीण्डर, कानोड, सलूम्बर, बॉसवाड़ा, कुशलगढ, चित्तौड़गढ, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, कपासन, बेगू, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ, छोटी सादड़ी, डूंगरपुर, सागवाड़ा, राजसमन्द, आमेट, नाथद्वारा, देवगढ, खेरली, राजगढ, खैरथल, तिजारा, बहरोड़, किशनगढ़बास, दौसा, बांदीकुई, लालसोट, महवा, झुन्झुनूं, नवलगढ, चिड़ावा, बिसाऊ, बग्गड़, खेतड़ी, मण्डावा, मुकुन्दगढ, पिलानी, विद्या विहार, सूरजगढ, उदयपुरवाटी, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ, रामगढ शेखावाटी, श्री माधोपुर, नीम का थाना, खण्डेला, लोसल, रींगस, सांभर, चाकसू, कोटपूतली, चौमूं, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ रेनवाल, शाहपुरा, विराटनगर, बगरु, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोकरण, जालौर, भीनमाल, सांचौर, फलौदी, पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा, पाली, सोजतसिटी, सादड़ी, बाली, फालना, जैतारण, रानी, सुमेरपुर, तख्तगढ, सिरोही, माउण्ट आबू, आबू रोड़, शिवगंज, पिण्डवाड़ा, किशनगढ, केकड़ी, पुष्कर, सरवाड़, ब्यावर, विजयनगर, शाहपुरा (भी.), गुलाबपुरा, गंगापुर, जहाजपुर, आसीन्द, माण्डलगढ, नागौर, लाडनूं, मेड़ता सिटी, मकराना, कुचामन सिटी, डीडवाना, परबतसर, नॉवा, कुचेरा, मूण्डवा, डेगाना, टोंक, देवली, निवाई, मालपुरा, टोडारायसिंह एवं उनियारा शामिल है। गौरव पथ के निर्माण हेतु वित्तीय वर्षवार राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग प्राथमिकता के आधार पर गौरव पथ का निर्माण करवायेगा।

उन्होनें बताया कि प्रदेश की 11 नगरीय निकायों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाडा, अलवर, भिवाडी, श्रीगंगानगर, नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वंय राजस्व स्त्रोत से गौरव पथ के निर्माण का कार्य करवाया जायेगा।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Local Self Government

Shri Rajpal Singh Shekhawat(Honorable Minister UDH)
(O)Ph No.+91141-2227533,

Shri Manjeet Singh(IAS) - Principal Secretary
Ph No. +91141-2227128

Shri Purushottam Biyani (IAS) Director and Joint Principal Secretary
Ph No.+91141-2222403
Fax: 0141-2222403

Call Center Toll free No.:- 1800-180-6127

Office-Local Self Government Department (Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur) G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur - Rajasthan -India

Contact Us